दिव्य प्रेरक कहानियाँ
मानवता अनुसंधान केंद्र

दहेज कुप्रथा उन्मूलन और मानवता

शोधार्थी : स्नेहा सिंह

दहेज कुप्रथा उन्मूलन और मानवता के उपरांत प्रस्तुत शोध प्रबंध

अनुसंधान का विषय : दहेज कुप्रथा उन्मूलन और मानवता

शोधार्थी का नाम : स्नेहा सिंह (लेखिका)

पंजीयन संख्या : HR/369/8-12/5/2023

शोधार्थी का पता : सेक्टर ई श्रवण अपार्टमेंट के पास, लखनऊ

शोध पर्यवेक्षक : सुशील कुमार सिंह (प्रेषक), लखनऊ

दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केंद्र

DIVYA PRERAK KAHANIYAN HUMANITY RESEARCH CENTRE

An ISO 2001-2018 Certified Research Institution

Regd. Under Indian Trust Act 1882, Government of India

पंजीकृत कार्यालय - ठेकमा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश (भारत)

Website: www.dpkavishek.in | Email: dpkhrc@gmail.com

शोधार्थी घोषणा पत्र

मैं स्नेहा सिंह **पुत्र/पुत्री** श्री साकार सिंह सचान पता एल डी ए सेक्टर ई श्रवण अपार्टमेंट के पास, लखनऊ, पंजीयन संख्या - HR/369/8-12/5/2023 यह घोषणा करता/करती हूँ की प्रस्तुत शोध प्रबंध शीर्षक "दहेज कुप्रथा उन्मूलन और मानवता" जो व्यावहारिक अनुसंधान का मूल भाग है तथा अप्रकाशित है। इस शोध के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में हमने पूरा किया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ की इस शोध कार्य में हमने किसी भी प्रकार के साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा इससे पहले किसी अन्य संस्थान में डीग्री डिप्लोमा के लिए उपयोग नहीं किया है। हमने यह अपना अनुसंधान कार्य 'दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केन्द्र' द्वारा प्रतिपादित सभी नियम व निर्देशों के तहत पूर्ण किया है।

Sneha Singh

दिनांक : 20 अगस्त 2025 **शोधार्थी के हस्ताक्षर**

पर्यवेक्षक घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केंद्र अंतर्गत शोधार्थी स्नेहा सिंह पंजीयन संख्या HR/369/8-12/5/2023 शीर्षक "दहेज कुप्रथा उन्मूलन और मानवता" के तहत प्रस्तुत अनुसंधान / शोध प्रबंध मूल व अप्रकाशित भाग है। इनके द्वारा मेरे निर्देशन में यह शोध कार्य किया गया है एवं शोध प्रबंध साहित्यिक चोरी रहित, उत्कृष्ठ तथा शोध प्रकाशन के लिए उपयुक्त है।

वर्तमान में यह व्यवहारिक अनुसंधान कार्य समाज में सामाजिक समरसता, आपसी एकता, प्रेम, सहयोग, परोपकार तथा नैतिकता, मानवता युक्त सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इस तरह का अनुसंधान कार्य करना, अनुसंधान कर्ता की कार्य कुशलता व सच्ची मानवता के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी ने अपना अनुसंधान कार्य दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केन्द्र द्वारा प्रतिपादित सभी नियम व निर्देशों के तहत पूर्ण किया है।

हम शोधार्थी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

दिनांक : 20 अगस्त 2025

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम : सुशील कुमार सिंह

पद नाम : प्रेषक

पता : आलमबाग, लखनऊ

विषय सूची

1. दहेज कुप्रथा 6
2. उन्मूलन 6
3. मानवतावाद से संबंध 7
4. भारत में दहेज कुप्रथा 8
5. भारत में दहेज़ का प्रचलन और विकास 9
6. भारत में वैवाहिक प्रचलनों का विकास 11
7. आधुनिकरण, आर्थिक विकास और दहेज 12
8. दहेज और वर गुणवत्ता 13
9. भारतीय समाज में दहेज प्रथा और उसका नकारात्मक प्रभाव .. 13
10. दहेज प्रथा कैसे रोके 23
11. चलन दहेज प्रथा का 25
12. दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप 26
13. भारतीय समाज में दहेज प्रथा का इतिहास 30
    - क) उत्तर वैदिक काल
    - ख) मध्य काल
    - ग) आधुनिक काल
14. दहेज प्रथा, मानवतावाद और उन्मूलन का सार 33
    - क) भेदभाव
    - ख) हिंसा और उत्पीड़न
    - ग) आर्थिक बोझ
    - घ) सामाजिक बुराई

15. मानवतावाद और दहेज प्रथा का उन्मूलन 34
क) समानता
ख) शिक्षा
ग) जागरूकता
घ) कानून
ड) सामाजिक परिवर्तन
च) दहेज की प्रकृति
16. नीतिगत निहितार्थ 36
17. निष्कर्ष 38
18. संदर्भ 39

दहेज कुप्रथा उन्मूलन और मानवता

- दहेज कुप्रथा क्या हैं?
- दहेज कुप्रथा का उन्मूलन कैसे किया जा सकता हैं?
- मानवतावाद से इसका क्या संबंध हैं?

दहेज कुप्रथा क्या हैं?

दहेज कुप्रथा (Dowry Malnutrition)

एक सामाजिक, मानसिक और व्यवहारिक दोष हैं जिसने समाज के हर वर्ग को अभिशप्त कर रखा हैं। इस बुराई ने समाज के हर वर्ग को आज भी अपने शिकंजे में इस कदर जकड़ रखा हैं कि मानव कितना भी पढ़ा लिखा हो, नौकरी पेशा वाला हो, उसे दहेज लेने देन में कोई बुराई नजर नहीं आती। वो बड़े ही चाव से इसको ले दे रहा हैं और इस कुप्रथा को बढ़ावा भी दे रहा हैं। क्या, इस चलन को आज के दौर में भी बढ़ावा देना उचित हैं? अगर इस भावनाओं से जुड़े व्यापार को रोका नहीं गया तो भविष्य में इसके नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। शायद, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं होगा।

उन्मूलन

उन्मूलन (Eradication) जड़ से किसी सामाजिक, व्यवहारिक और मस्तिष्क के हर अंग को छिन्न भिन्न करने वाली बुराई को उखाड़ फेंकना है। जब तक इस दिमाग में दबे मलवे को हमेशा हमेशा के लिए दबा नहीं दिया जाएगा गहराइयों में, जहां से इसको कुरेदना भी मुश्किल हो। तब तक इंसान न ही मानसिक तरक्की कर पाएगा, ना सामाजिक और ना ही व्यवहारिक।

मानवता से इसका क्या संबंध हैं?

मानवता शब्द की व्युत्पत्ति मूल रूप से शब्द मन से हुई हैं। इसी धातु से व्युत्पन्न हैं मनु जिसका मूल अर्थ हैं विचारशील, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, मनीषी, नृवंश के आदिपुरुष को इन्ही गुणों के कारण ये नाम दिया गया हैं।

सुख, समृद्धि एवम शांति से परिपूर्ण जीवन के लिए सच्चरित्र तथा सदाचारी होना हमारी पहली शर्त है, जो उत्कृष्ट विचारों के बिना संभव नहीं हैं और मानवता का सीधा संबंध इन विचारों से हैं। मानव का एक ही कर्म और धर्म हैं, और वो हैं मानवता। जो गुण व भाव इंसानों के आचरण में न आए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता हैं। "जो इंसान अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर देता हैं वही समाज का सच्चा सेवक हैं।"

आज ज्यादातर लोग वस्तुओं (भौतिक) को पाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जब वे इस दुनिया से विदा होते हैं तो वे अपने साथ कुछ नही ले जा पाते। उनकी सारी की गई कमाई यही रह जाती हैं। अगर वो लोग कुछ साथ ले जा पाते हैं तो वह हैं उनके अच्छे कर्म और लोगों की दुआएं। पूरे विश्व में ईश्वर ने हम सभी को एक सा बनाया हैं। बस, स्थान और जलवायु के हिसाब से हमारा रंग रूप, खान पान और जिंदगी जीने का सलीका अलग अलग हैं। आत्मभाव से हर भाव एक समान हैं।

गुरुनानक देव जी कहते हैं कि एक पिता की संतान होने के बावजूद हम ऊंचे नीचे कैसे हो सकते हैं। हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं। एक जैसे ही तत्व सबके भीतर हैं। जिस दिन यह सच्ची बात हमारे मन में स्थापित हो जायेगी तो फिर सभी भेद भाव मिट जायेंगे और तब हम इंसानियत की राह पर पूरी तरह अग्रसर होकर भाईचारा स्थापित करने लगेंगे। कोई भी धर्म शास्त्र आपस में वैर नही रखता हैं। सभी एक ही संदेश देते हैं, "मानवता सेवा ही सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा हैं।"

भारत में दहेज कुप्रथा

नगदी, टिकाऊ समान और चल और वास्तविक संपत्ति को संदर्भित करती हैं जो दुल्हन का परिवार दूल्हे, उसके माता पिता और उसके रिश्तेदारों को शादी की शर्त के रूप में देता हैं। दहेज़ को हिंदी में 'दहेज' ही कहा जाता हैं।
दहेज़ कुप्रथा दुल्हन के परिवार पर भारी वित्तीय बोझ डाल सकती हैं। कुछ मामलों में, दहेज कुप्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराधों का कारण बनती हैं, जिसमें भावनात्मक शोषण और चोट से लेकर मृत्यु तक शामिल हैं। दहेज़ का भुगतान लंबे समय से विशिष्ट भारतीय कानूनों के तहत प्रतिबंधित हैं, जिसमें भारत की संसद द्वारा अनुमोदित दहेज निषेध अधिनियम 1961 और उसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी और 498ए शामिल हैं।

दहेज़ निषेध अधिनियम 1961 दहेज को परिभाषित करता हैं। दहेज़ का अर्थ हैं "कोई भी संपति या मूल्यवान सुरक्षा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई हैं या देने के लिए सहमत हैं।"

विवाह में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, वर वधू के माता पिता द्वारा विवाह के किसी पक्ष द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के पक्ष में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के पहले या बाद में उक्त पक्षों के विवाह प्रतिफल के रूप में। लेकिन व्यक्तियों के मामलों में मेहर या महर शामिल नहीं हैं जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता हैं।
एक अदालती निर्णय दहेज की कानूनी परिभाषा को स्पष्ट करता हैं। दहेज़ निषेध अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किया गया हैं कि दहेज़ लेने या देने का दंड उन उपहारों पर लागू नहीं होता हैं। जो विवाह के समय दुल्हे या दुल्हन को तब दिए जाते हैं जब उनकी कोई मांग ना की गई हो।

हालांकि दहेज़ के खिलाफ भारतीय कानून दशकों से प्रभावी हैं, लेकिन अप्रभावी होने के कारण उनकी बड़े पैमाने पर आलोचना की गई हैं। भारत के कई हिस्सों में दहेज़ हत्या और हत्या की प्रथा अनियंत्रित रूप से जारी हैं जिसके प्रवर्तन की चिंताओं को और बढ़ा दिया हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के अनुसार, यदि पत्नी दहेज़ उत्पीड़न की शिकायत करती हैं, तो दूल्हे और उसके परिवार को स्वतः गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस कानून का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया हैं। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती हैं।

भारत में दहेज़ का प्रचलन और विकास

दहेज़ भुगतान भारत में पारिवारिक वित्त व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो आमतौर पर सालों की कमाई से भी अधिक होता हैं। इस आलेख में बीसवीं सदी में दहेज के विकास (इवोल्यूशन) के बारे में तथ्यों के प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए संपूर्ण भारत से 70,000 से भी अधिक विवाहों के सैंपल का विश्लेषण किया गया हैं। इसमें अनुभव के आधार पर दहेज के अनेक सिद्धांतों की जांच की गई हैं और पाया गया हैं कि दहेज़ की सबसे अच्छी व्याख्या किसी खास वर से विवाह करने के लिए दिए जाने वाले भेंट के रूप में की जाती हैं।

भारतीय परिवारों में बिटिया लेन देन विवाह के समय होती हैं। वधु के परिवार द्वारा उसके वर को दिया जाने वाला दहेज वर्तमान भारत में लगभग हर जगह हैं और आमतौर पर किसी भी परिवार के सालों की कमाई से अधिक होता हैं।

सरकार दहेज को एक बड़ी सामाजिक बुराई मानती हैं लेकिन दहेज़ को खत्म

करने के लिए उनके कानूनी प्रयास निष्प्रभावी साबित हुए है। यही नहीं, व्यापक शोध में प्रमाण प्रस्तुत किए गया हैं कि कैसे दहेज चुनिदा लिंग आधारित व्यवहार को बढावा दे सकता हैं। (भलोत्रा एवम् अन्य 2016, बोरकर एवम् अन्य 2017 अल्फानो एवम् अन्य 2017), अधिक दहेज ऐठने की आशा में पत्नियों के साथ हिंसा का कारण बन सकता हैं (blakh 2002) और परिवार के निवेश संबंधी निर्णयों को बदल सकता हैं (vagla 2013, अनुकृति एवम् अन्य 2013)

अर्थशास्त्र में दहेज पर प्रचुर सैद्धांतिक साहित्य मौजूद हैं जिसमें दहेज़ के अस्तित्व में रहने की संभावित व्याख्या करने वाले मॉडल उपलब्ध हैं। मगर आश्चर्य की बात यह हैं कि इन व्याख्याओं की जांच के लिए या यह दर्शाने के लिए कि समय के साथ भारत में दहेज का कैसे उद्भव हुआ हैं, बहुत कम परिणात्मक प्रमाण मौजूद हैं।
हमारे विश्लेषण (चिपलूकर और vivar 2019) का लक्ष्य दोहरा हैं। पहला, तो यह कि भारत में बीसवीं सदी के अधिकांश हिस्सों में वैवाहिक प्रचलनों और दहेज के बारे में तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए हमने अनेक डाटासेट का उपयोग किया हैं। दूसरा, यह कि इन आंकड़ों का उपयोग हमने दहेज के विकास पर मौजूद विभिन्न सिद्धांतों की प्रमाण आधारित जांच के लिए किया हैं।

दहेज़ के मूल कारण को समझना उपर्युक्त नीतिगत प्रतिक्रियाएं तैयार करने के लिए उपयोगी हैं।
वैवाहिक प्रचलनों और दहेज भुगतान पर जानकारी के लिए हमने तीन मुख्य डेटासेट का उपयोग किया हैं :-

ग्रामीण आर्थिक एवम् जन सांख्यिक सर्वेक्षण (आर.डी.एस.रेडस) वन जिसमें भारत में 1930 से 1950 के बीच हुए विवाहों और उनमें दहेज भुगतान से संबंधित सूचनाएं मौजूद हैं।
भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण (आई.एच.डी.सी) और राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस)। अंतिम दोनों सर्वे कई चक्रों वाले राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण हैं।

भारत में वैवाहिक प्रचलनों का विकास

जैसा कि दूसरे शोध अध्ययनों में भी दर्शाया गया हैं भारत में कुछ वैवाहिक प्रचलनों में बीसवीं सदी के दौरान बहुत मामूली बदलाव ही दिखे हैं।
आज भी 90 प्रतिशत से अधिक विवाह पहले की तरह दंपति के माता पिता द्वारा आयोजित होते हैं। हालांकि विवाहों का वो हिस्सा जिसमें वर वधू की बात को भी कुछ महत्व मिलता हैं। वह 1960 में 20 प्रतिशत से दोगुना होकर 2005 में 40 प्रतिशत हो गया। विवाह छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में ही संक्रेंद्रित रहते हैं। 80 प्रतिशत वधुओं का विवाह उसी जिले में रहने वाले वर्ण से होता हैं और वर वधू के घरों के बीच यात्रा का औसत समय लगभग 3 घंटे होता हैं।
जैसी कि ऐतिहासिक स्थिति भी रही हैं 95 प्रतिशत विवाह एक अन्य सिद्धांत में दहेज बदलाव को जनसंख्या वृद्धि के कारण लिंग अनुपात में हुए बदलाव का परिणाम तर्क के आधार पर उचित बताया गया हैं।
(जैसे - राव 1993 ; बिल्लीग 1991, 1992 ; डालमिया एवं अन्य 2005 ; सौतमान 2011)

पुरुष महिलाओं की अपेक्षा अधिक उम्र में शादी करते हैं। और इसलिए जब

जनसंख्या बढ़ती हैं, जैसा कि भारत के मामले में 1950 और 1960 के दशकों में हुआ तो विवाह के उम्र वाले पुरषों की तुलना में विवाह की उम्र वालीं महिलाओं की संख्या बढ़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप होने वाले वैवाहिक दबाव (marriage squeeze) में अपेक्षाकृत कम वरों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ने से दहेज में वृद्धि हो सकती हैं।
इन अनुमानों के विपरीत हमने ऐसा नहीं पाया की विवाह के बाजार में मौजूद लिंग अनुपात का दहेज के प्रचलन या उसकी मात्रा से कोई संबंध हैं। बल्कि एंडर्सन 2007 द्वारा सैद्धांतिक रूप से दर्शाया हैं कि विवाह की उम्र में बदलाव होने से इस दबाव में कमी नजर आती हैं, जब वर वधू की उम्र का औसत अंतर कम होता हैं।

आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास और दहेज

एंडरसन 2003 ने दहेज में वृद्धि को आधुनिकीकरण के दौरान सम्पति का फैलाव बढ़ने और उसके साथ साथ वरों को लेकर जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से जोड़ा हैं। इस सिद्धांत का मुख्य तत्व यह हैं कि परिवार अपनी बेटियों की शादी ऊंची हैसियत वाली जाती के पुरुषों से करना चाहते हैं और उसे निम्न जातीय पुरुषों के साथ विवाह की तुलना में काफी तरजीह दी जाती हैं। वरों में यह जाती आधारित प्रतिस्पर्धा होने एवं वरों की गुणवत्ता में बढ़े हुए फैलाव के कारण दहेज स्फीति (dowry inflation) पैदा होती हैं।

हमने इस मॉडल के एक मुख्य पूर्वानुमान का प्रमाण आधारित जांच किया की निम्न जातीय वरों की गुणवत्ता में विस्तार होने के कारण उच्च जातियों में दहेज स्फीति की स्थिति पैदा होगी।

हमें जातियों के बीच इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का कोई प्रमाण नहीं मिला क्यूंकि वास्तविक संभावना यही होती हैं कि लोग उच्च जाति के बजाय अपनी जाति समूह में शादी करना पसंद करते हैं।
बनर्जी व अन्य 2013

दहेज और वर की गुणवत्ता

हमने प्रमाण उपलब्ध कराया कि दहेज में वृद्धि के कारण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वर की गुणवत्ता में बढ़ते अंतर को माना जा सकता हैं जो एंडरसन और बिडनर 2015 के सैद्धांतिक माडल के अनुरूप हैं।

भारतीय समाज में दहेज प्रथा और उसका नकारात्मक प्रभाव

दहेज प्रथा के सबसे मुख्य कारण क्या हैं?
अपनी पुत्री का विवाह अपने ही जाति, समुदाय तथा उपजाति में करने हेतु एवं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने हेतु दहेज प्रथा को अनिवार्य माना जाता हैं, क्योंकि इससे विवाह का दायरा सीमित हो जाता हैं। अतः सीमित दायरे में अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए माता पिता को मजबूरन अपनी पुत्री के विवाह में ढेर सारा दहेज देना पड़ता हैं।

भारतीय समाज में बेटियों का विवाह अनिवार्य समझा जाता हैं। अतः विवाह की अनिवार्यता ही वर पक्ष को अधिक से अधिक दहेज की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उच्च नौकरी या अच्छे खानदान में विवाह करने के लिए माता पिता को मोटे दहेज का इंतजाम करना पड़ता हैं। उच्च शिक्षा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा भी दहेज प्रथा का एक मुख्य कारण हैं, क्योंकि शिक्षा और

प्रतिष्ठा के कारण ही अभिभावक अपनी पुत्री का विवाह एक उच्च शिक्षित तथा नौकरी पेशा वाले लड़के से ही करना चाहते हैं। अतः समाज में ऐसे लड़कों के अभाव के कारण ही वर पक्ष द्वारा अधिक दहेज की मांग की जाती हैं।

दहेज प्रथा हेतु महंगाई भी जिम्मेदार हैं क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए प्रतीक व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती हैं। अतः वर पक्ष अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वधू पक्ष से अधिक दहेज की मांग करते हैं।

शिक्षा का अभाव –

दहेज पर प्रतिबंध लगाने वाले मौजूदा कानूनों के बारे में दुल्हन और उनके परिवारों के बीच जागरूक या शिक्षा की कमी प्रचलित दहेज प्रथा के प्रमुख कारणों में से एक हैं। उच्च शिक्षा की कमी के कारण उनमें से अधिकांश को उनके अधिकारों और कानूनों को अनदेखी की जाती हैं। इसलिए वे वही स्वीकार करते हैं जो उनके दादा दादी उन्हें देते हैं।

पितृसत्तात्मक समाज –

पितृसत्ता एक और सामाजिक व्यवस्था हैं जिसमें पुरुष को श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त होता हैं और उसे अपने घरों के साथ साथ समाज में भी प्रभुत्व का माहौल बनाने की अनुमति होती हैं।

प्राचीन काल से ही पुरुषों को न केवल भारत में बल्कि दुनियां भर में श्रेष्ठ दर्जा दिया जाता रहा हैं। जहां महिलाओं को वोट डालने या परिवार के भीतर अपनी राय देने की अनुमति नहीं थी।

हालांकि, भारत में दहेज प्रथा की शुरुआत 1961 में हुई जो ब्रिटिश शासन काल से भी पहले की बात हैं। लेकिन जब अंग्रेजों ने महिलाओं की संपत्ति के खिलाफ नियम बनाया तो उनसे संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार छीन लिया गया। इससे एक गड़बड़ हो गई, एक महिला के पास जितनी भी संपत्ति होती थी वह सीधे उसके पति के पास चली जाती थी जिससे उनके पास कुछ भी नहीं बचता था और इस वजह से पुरुष उनको परेशान करने लगे जिससे महिलाओं में वर्चस्व की भावना पैदा हो गई।

दहेज प्रथा से जुड़ी समस्या धर्म, जाति, पंथ और इलाके के हिसाब से अलग अलग होती हैं और इनके सटीक कारणों का पता लगाना मुश्किल हैं।

लालच –

दहेज का लेन देन दूल्हे की शिक्षा, कैरियर और धन की भरपाई के लिए किया जाता हैं। इसलिए उसे अपने जीवनकाल में रोटी कमाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसे जीवन भर दहेज के रूप में पैसा मिलता रहेगा। दहेज कानून का कमजोर क्रियान्वयन समाज में महिलाओं को ऐसी बुरी व्यवस्था से बचाने के लिए कई कानून दिए गए हैं।

दहेज निषेध अधिनियम 1961 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 काफी समय से मौजूद हैं।

अज्ञानता के आवरण में लोगों की सामूहिक भागीदारी के कारण इन कानूनों का क्रियान्वयन अप्रभावी हैं।

दहेज प्रथा के प्रभाव

हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक हों या फिर शारीरिक, को बढ़ावा देता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। अमीर और संपन्न परिवार जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं वहीं निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी के विवाह में दहेज देना उनके लिए विवशता बन जाता है। क्योंकि वे जानते है कि अगर दहेज ना दिया गया तो यह उनके मान-सम्मान को तो समाप्त करेगा ही साथ ही बेटी को बिना दहेज के बिदा किया तो ससुराल में उसका जीना तक दूभर बन जाएगा। संपन्न परिवार की बेटी के विवाह में किए गए व्यय को अपने लिए एक निवेश मानते हैं। उन्हें लगता है कि बहुमूल्य उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह सीधा उनकी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा।

भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, तालाक, वेश्यावृत्ति, बेमेल विवाह जैसे अनेक बुराईयां दहेज प्रथा के कारण ही पनपती है। इस कुप्रथा के कारण ही अनेक लड़कियाँ अविवाहित रह जाती हैं या अयोग्य लोगों के पल्ले बांध दी जाती है। कितनी ही लड़कियां दहेज के कारण अपने प्राण न्यौछावर कर चुकी है और कितनी ही लड़कियां अपने माता-पिता पर बोझ बनकर बैठी हैं।

दहेज देने की होड़ में लड़की के माता पिता कर्जदार होकर अपनी परेशानियां बढ़ा रहे है। वहीं लड़के वाले लालच में आकर अधिक दहेज के लिये नवविवाहिता को तंग करते है अथवा जलाकर मारने जैसा घृणित कार्य भी करते है।

कई बार लड़की यह सब ताने और अत्याचार नहीं सह पाती तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है या तलाक के लिये मजबूर हो जाती है।

विषय - प्रवेश :

दहेज का अर्थ है, विवाह के समय दी जाने वाली वस्तुएँ। हमारे समाज में विवाह के साथ लड़की को माता-पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। इस अवसर पर अपना स्नेह प्रदर्शित करने के लिए कन्या पक्ष के लोग लड़की तथा लड़के सम्बन्धियों को यथाशक्ति भेंट दिया करते हैं। यह प्रथा कब शुरू हुई, कहा नहीं जा सकता। लगता है कि यह प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। हमारी लोक कथाओं और प्राचीन काव्यों में दहेज प्रथा का काफी वर्णन हुआ है। दहेज एरक सात्विक प्रथा थी। कन्या अपने घर में श्री समृद्धि की सूचक बने ।अतः खाली हाथ पतिगृह में प्रेवश अपशकुन माना जाता है। फलतः वह अपने साथ वस्त्राभूषण, बर्तन तथा अन्य पदार्थ ले जाती है।

कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तलम् में कन्या को पराई वस्तु कहा है। वस्तुतः वह धरोहर है, जिसे पिता कन्यादान के द्वारा दूसरे (पति) को सौंप देता है। जिस प्रकार बैंक अपने पास जमा की गई धरोहर राशि को ब्याज सहित चुकाता है उसी प्रकार पिता भी धरोहर कन्या को सूद दहेज सहित लौटाता है। इस प्रकार दहेज में कुछ आर्थिक कर्त्तव्य की भावना भी निहित है।

हजार वर्ष की पराधीनता और स्वतंत्रता के गत 69 वर्षों की स्वच्छन्दता ने दहेज प्रथा को विकृत कर दिया है। कन्या की श्रेष्ठता, शील, सौन्दर्य से नहीं बल्कि दहेज से आँका जाने लगी है। कन्या की कुरूपता और कुसंस्कार दहेज के आवरण में आच्छादित हो गए।

खुलेआम वर की बोली लगने लगी। दहेज में प्रायः राशि से परिवारों का मूल्यांकन होने लगा। समस्त समाज जिसे ग्रहण कर ले वह दोष नहीं गुण बन जाता है। फलतः दहेज सामाजिक विशेषता बन गई है। दहेज प्रथा जो आरम्भ में स्वेच्छा और स्नेह से भेंट होने तक सीमित रही होगी अब धीरे-धीरे विकट रूप धारण करने लगी है। वर पक्ष के लोग विवाह से पहले ही दहेज में ली जाने वाली धन राशि तथा अन्य वस्तुओं का निश्चय करने लगे हैं।

भाारतीय समाज में अनेक प्रथाएं प्रचलित है। पहले इस प्रथा के प्रचलन में भेंट स्वरूप बेटी को उसके विवाह पर उपहारस्वरूप कुछ दिया जाता था परन्तु आज दहेज प्रथा एक बुराई का रूप धारण करती जा रही है। दहेज के अभाव में योग्य कन्यायं अयोग्य वरों को सौंप दी जाती है। लोग धन देकर लड़कियों को खरीद लेते है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन सुखद नहीं बन पाता। गरीब परिवार के माता-पिता अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते क्योंकि समाज के दहेज लोभी व्यक्ति उसी लडकी से विवाह करना पसंद करते हैं जो अधिक दहेज लेकर आती है।

हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक हों या फिर शारीरिक, को बढ़ावा देता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। अमीर और संपन्न परिवार जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं वहीं निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी के विवाह में दहेज देना उनके लिए विवशता बन जाता है। क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दहेज ना दिया गया तो यह उनके मान-सम्मान को तो समाप्त करेगा ही साथ ही बेटी को बिना दहेज के बिदा किया तो ससुराल में उसका जीना तक दूभर बन जाएगा।

संपन्न परिवार की बेटी के विवाह में किए गए व्यय को अपने लिए एक निवेश मानते हैं। उन्हें लगता है कि बहुमूल्य उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह सीधा उनकी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। इसके अलावा उनकी बेटी को भी ससुराल में सम्मान और प्रेम मिलेगा।

मूल रूप से दहेज एक कुप्रथा है। गौरतलब है कि भारत में 8.9 प्रतिशत लड़कियों 13 वर्ष की उम्र से पहले ब्याह दी जाती है जबकि अन्य 23.5 प्रतिशत लड़कियों की शादी 15 वर्ष की आयु तक हो जाती है। जाहिर है लड़की जितनी पढ़ेगी-बढ़ेगी उतना ही उपयुक्त वर तलाशना होगा और उसके रेट के मुताबिक दहेज जुटा पाना सबके बूते की बात नहीं है इसलिए कम उम्र की कम पढ़ी-लिखी लड़की ब्याह कर कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना अधिकांश लोग बढ़िया मान लेते हैं।

दहेज के दानव के भय से ही पूरे देश में गैरकानूनी अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक में हर रोज लाखों लड़कियों माँ की कोख में ही मार दी जा रही है। लडकियों के पोषण से संबंधित एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि प्रत्येक पैदा हुई 1000 लड़कियों में से 766 लड़कियों ही समाज में जीवित रहती है। लड़कियों की उपेक्षा का आलम ये है कि संभ्रांत समझे जाने वाले परिवारों ने भी यह समझना नहीं चाहा है कि परिवार में बेटियों का जन्म नहीं होगा तो इसी परिवार में बहुएँ कहाँ से आएँगी।

हमारा सामाजिक परिवेश कुछ इस प्रकार बन चुका है कि यहां व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके आर्थिक हालातों पर ही निर्भर करती है। जिसके पास जितना धन होता है उसे समाज में उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है। ऐसे

परिदृश्य में लोगों का लालची होना और दहेज की आशा रखना एक स्वाभाविक परिणाम है। आए दिन हमें दहेज हत्याओं या फिर घरेलू हिंसा से जुड़े समाचारों से दो-चार होना पड़ता है। यह मनुष्य के लालच और उसकी आर्थिक आकांक्षाओं से ही जुड़ी है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिसे जितना ज्यादा दहेज मिलता है उसे समाज में उतने ही सम्माननीय नजरों से देखा जाता है।

दहेज कम लाने पर शादी के पश्चात् बहुओं को मारा-पीटा जाता है। यहां तक कि उन्हें जला दिया जाता है। उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्राचीन काल में स्त्री-पुरुष का प्रणय बंधन कभी एक पुनीत रीति था। माता-पिता इसे अपना कर्तव्य समझते थे। कन्यादान को महादान समझा जाता था। बेटी के विवाह पर कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों को प्रेम से जो भी उपहार देते थे वर पक्ष उसे स्वीकार करता था।

कालांतर में उसने दहेज का रूप धारण कर लिया है। आज उस दहेज के नाम पर बड़ी-बड़ी चीजों की मांग की जाती है। दहेज न दे पाने के कारण बारात वापिस ले जाते हैं। लोग आज दहेज मांगने में जरा भी लज्जा महसूस नहीं करते। पैसे वाले लोग अपनी बेटियों के विवाह पर अपार धन खर्च करते है। बड़ी-बड़ी चीजें जैसे ए.सी, गाड़ियां, कीमती वस्त्र, गहने आदि चीजें देते है। उसी को देखा-देखी वर पक्ष के लोग गरीब या मध्यम वर्ग के परिवारों से भी बड़ी-बड़ी चीजों की मांग करते हैं। आज इस प्रथा ने विकराल रूप धारण कर लिया है।

यह समस्या प्रत्येक लड़की के माता-पिता की समस्या बन गई है। इस समस्या ने असंख्य कन्याओं के माता-पिता का चैन लूट लिया है। दहेज के कारण पढ़ी-लिखी सुंदर, सुशील, कमाऊ लड़कियों की भी शादी नहीं हो पा रही है। लड़का कुरूप तथा मोटी लड़की से भी शादी कर लेता है क्योंकि वह खूब सारा दहेज लेकर आती है परन्तु उसे मध्यम वर्ग की सुंदर सुशील लड़की से विवाह करना गवारा नहीं जो दहेज कम लाएगी। प्रतिदिन अखबारों में दहेज उत्पीड़न के मामले पढ़ने को मिलते हैं। आज शादी का बंधन पवित्रता का बंधन नहीं बल्कि सौदेबाजी का व्यापार बन गया है।

आज दहेज का दावानल पूरे पूरे युवा पीढ़ी को गिल रही है। आज बेरोजगार और बेकार युवा की कीमत दो लाख तक लग जाती है और नौकरी बालों की बोली तो जब लगती है तो जो सर्वाधिक दे उसी के हाथ बिकेगा। दहेज का डायन होने के कई प्रमाण है और सबसे बड़ा प्रमाण यह कि जब बहू घर में आती है तो अपने साथ दहेज के अभिमान को भी लेकर आती है। नतीजा सुख-चैन की समाप्ति हो जाती है और बहुओं के आत्महत्या इसका चरम है।

आज दहेज के औचित्य पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला यह कि हम दहेज लेकर अपनी शानो-शौकत का जो दिखावा करते है क्या वह उचित है? दूसरे के पैसा पर यह दिखावा झूठी शान ही तो है? यदि दिखावा ही करना है तो अपने पैसे से करें। दहेज का रेट आज सातवें आसमान पे है। इसके लिए केवल दहेज लेने वाला ही दोषी नहीं बल्कि देने वाला भी उतना ही दोषी है। आज चपरासी की नौकरी लगी नहीं कि उसे खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। न तो उसके संस्कार देखे जाते हैं और न ही उसका चरित्र।

इसमें सबसे बड़ा दोषी हमारा युवा वर्ग है जिसके कंधे पर समाज को बदलने की जिम्मेदारी है। वहीं पैसे के पीछे इतनी दिवानगी दिखाता है कि शर्म आ जाए और अभिभावक जब बहू के द्वारा सम्मान नहीं मिलने की बात कहते है तो हंसी आती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में भी कहा गया है कि बालिग पुरूषों और महिलाओं को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म के किसी बंधन के बिना विवाह करने और घर बसाने का अधिकार है। उन्हें विवाह करने, विवाह के दौरान और विवाह विच्छेद के मामले में समान अधिकार है। इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि विवाह के इच्छुक पति-पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही विवाह होंगे। इस तरह से दहेज के कारण हुए बेमेल विवाहों, दहेज के नाम पर नित हो रहे शोषण, दहेज उत्पीड़न एवं लड़कियों के जन्म, शिक्षा एवं पोषण में हो रहे सामाजिक पारिवारिक भेदभाव को भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के दायरे में रखा जा सकता है।
आधुनिक युग में कन्या की श्रेष्ठता उसके गुणों से नहीं बल्कि उसके पिता द्वारा दी जाने वाली दहेज की रकम एवं वस्तुओं से की जाती है। आज इसी कारण बेटियों को बोझ समझा जाता है। उसके जन्म लेने पर खुशियां नहीं मनाई जाती है।

दहेज प्रथा कैसे रोके

दहेज प्रथा रोकने हेतू उसकी फैली जड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी हैं। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं :-

1. शिक्षा और जागरूकता : दुल्हनों और उनके परिवार जनों के बीच जागरूकता फैलाना इस बुरी प्रथा को रोकने के लिए पर्याप्त हैं क्योंकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में निश्चित करना जरूरी हैं ताकि, जब कोई दहेज मांगे तब वे उनका पालन कर सके बेटियों को स्कूल भेजना और उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान कराना जिससे उन्हें अपने अधिकारों के बारे में सारे ज्ञान प्राप्त हो।

2. पितृसत्ता का खात्मा : अपनी बेटियों को हर मामले में बुलंद आवाज करना सिखाए।

3. कानून और प्रवर्तन : दहेज निषेध अधिनियम को सख्ती से लागू करना। दहेज मांगने या देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। दहेज उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना।

4. सामाजिक और आर्थिक समानता : महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। महिलाओं को नौकरी और व्यवसाय के अवसर प्रदान करना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार करना।

दहेज प्रथा हमारे समाज की सबसे बुरी कुरीतियों में से एक है जिसका निराकरण भी समाज के हित में जरूरी है।

दहेज एक सामाजिक कोढ़ है। इससे छुटकारा पाने के लिये हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा देना होगा। उनको शिक्षित करना होगा। सरकार ने दहेज लोभियों को दंडित करने के लिए अनेक नियम बनाए है परन्तु फिर भी यह प्रथा समाज में पनप रही है। वर को चाहिए कि वह जहां भी विवाह करेगा वह दहेज के बिना होगा। तथा बघू को चाहिए कि वे दहेज लोभी वर तथा उसके परिवार से संबंध रखने एवं विवाह करने से ही मना कर दे। वर की योग्यता एवं पद के अनुसार दहेज की मांग की जाती है। कभी-कभी तो वर पक्ष के लोग दहेज की मांग विवाह मंडप में रखते हैं ताकि कन्या पक्ष के लोग मान-मर्यादा की खातिर उनकी हर मांग पूरी करने पर विवश हो जाएं।

दहेज प्रथा हमारे समाज की सबसे बुरी कुरीतियों में से एक है जिसका निराकरण भी समाज के हित में जरूरी है। इसके लिए भारतीय दंड विधान संहिता के प्रावधानों के अलावे विशेष रूप से दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू है जिसके अन्तर्गत प्रबंध निदेशक, राज्य महिला विकास निगम को राज्य दहेज निषेद पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को जिला दहेज निषेध पदाधिकारी घोषित किया गया है। हर माह में हरेक जिले के डी. एम, एवं एस.पी. को एक दिन दहेज विरोधी दरबार लागने के साथ-साथ क्षेत्रान्तर्गत आयोजित विवाह समारोहों की सूचना संधारित की जानी है एवं दहेज निषेध अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में निकटतम थाने में प्राथमिकी दर्ज किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर आयोजित विवाह समारोहों के रिकार्ड रखने के लिए बाजाब्ता प्रपत्र परिचालित है जिनमें वर-वधू को प्राप्त उपहारों की सूची बनाकर वर-वधू एवं गवाहों का हस्ताक्षर लिया जाना है।

सरकार ने दहेज-निषेध पदाधिकारी को यह भी निर्देश दे रखा है कि दहेज-निषेध के कतिपए प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति की बाद में सूचना मिलने पर भी थाने में एफ. आई. आर दर्ज करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी० 498 ए एवं दहेज निषेध अधिनियम की धारा-3-4 एवं 6 के अन्तर्गत थाने में दायर इन मुकदमों की पैरवी भी सरकारी स्तर से थाने से लेकर राज्य सरकार के स्तर तक समाज कल्याण विभाग को ही करना है।

अन्य उपाय : निम्नलिखित उपायों को सामूहिक रूप से लागू करके दहेज प्रथा को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।

1. दहेज-मुक्त विवाहों को प्रोत्साहित करना।
2. समाज में दहेज को एक नकारात्मक प्रथा के रूप में मान्यता देना।
3. दहेज के खिलाफ सामाजिक आंदोलन चलाना।

निष्कर्ष : इतना देश विकास कर चुका हैं फिर भी दहेज प्रथा के कारण अभिशप्त हैं। महिलाएं स्वयं अपने स्तर पर कदम उठाएं और अधिकारों के बारे में जानने का प्रयास करें।

चलन दहेज प्रथा का

इसका चलन ब्रिटिशों की देन हैं उन्होंने ही भारत को ये भेंट स्वरूप दिया। भारत में पुत्रियों के विवाह में पहले कन्या शुल्क चलता था, जिसमें पिता पुत्री के विवाह के समय कन्या सुलझा लड़के वालों से लेता था, अपनी पुत्री जो घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं।

दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप

भारतीय समाज में फैली हुई अनेक कुरीतियों इस गौरवशाली समाज के माथे पर कलंक है। जाति-पाति, छुआछूत और दहेज जैसी प्रथाओं के कारण विश्व के उन्नत समाज में हमारा सिर लाज से झुक जाता है। समय-समय पर अनेक समाज सुधारक तथा नेता इन कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करते रहे हैं, किन्तु इनका समूल नाश सम्भव नहीं हो सका है। दहेज प्रथा तो दिन-प्रतिदिन अधिक भयानक रूप लेती जा रही है।

एक ओर वर पक्ष की लोभी वृत्ति ने इस रीति को बढ़ावा दिया तो दूसरी ओर ऐसे लोग जिन्होंने काफी काला धन इकट्ठा कर लिया था, बढ़-चढ़ कर दहेज लेने लगे। उनकी देखा-देखी अथवा अपनी कन्याओं के लिए अच्छे वर तलाश करने के इच्छुक निर्धन लोगों को भी दहेज का प्रबन्ध करना पड़ा। इसके लिए बड़े-बड़े कर्ज लेने पड़े, सम्पत्ति बेचनी पड़ी, अपार परिश्रम करना पड़ा लेकिन वर पक्ष की मांग सुरसा के मुख की भान्ति बढ़ती गई।

दहेज कुप्रथा का एक मुख्य कारण यह भी है कि आज तक हम नारी को नर के बराबर नहीं समझते हैं। लड़के वाले समझते हैं कि वे लड़की वालों पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। यही नहीं विवाह के बाद भी वे लड़की को मन से अपने परिवार का अंग नहीं बना पाते। यही कारण है कि वे हृदयहीन बनकर भोली-भाली, भावुक, नवविवाहित युवती को इतनी कठोर यातनाएं देते हैं।

दहेज प्रथा न केवल महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा खतरा है।

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा :

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा के क्रम में विभिन्न आचार्यों द्वारा लिखित पुस्तकों का अवलोकन किया गया है जिसमें :-

1. **एम०एन० श्रीनिवास (1988)** द्वारा लिखित पुस्तक "सम रिफ्लेक्सन ऑफ डाउरी" में कहना है कि दहेज प्रथा की शुरूआत प्राचीन काल से ही है जिसमें शादी के समय लड़की के पिता लड़की के विदाई के समय गाय, वर्तन, जेवरात एवं कुछ नकद देते थे। वहीं दहेज कलान्तर में विभत्स रूप लेकर समाज को दूषित कर रहा है।

2. **एम०सी० पाल (1993)** द्वारा लिखित पुस्तक "डाउरी एज ए सिम्बॉल ऑफ ओमेन्स सबोर्डिनेशन इन इण्डिया" में कहना है कि प्राचनी समय में दक्षिणा एवं स्त्री धन के रूप में लड़की की शादी के बाद विदाई के समय में दिया जाता था जिसे आज की भाषा में दहेज कहा जाता है। उस समय विदाई के समय दिया जाने वाला दक्षिणा या उपहार लड़की के घर बसाने में आवश्यक वस्तुओं का होना था।

3. **मधु किश्वर एवं बनीता रूथ (1984)** के द्वारा लिखित आलेख 'इण्डियन ओमेन्स भॉइसेज" में कहना है कि आधुनिक समय में दहेज की प्रथा विभित्स रूप ले चुका है जो नई नवेली दुलहन को मौत के घाट तक पहुंचा रहा है।

4. **के०एस० सेनभागम (1992)** ने अपने अध्ययन "लॉ ऑफ ओमेन्सराईट्स" में पाया कि दहेज का प्रभाव समाज को दूषित कर रहा है। लड़की को आर्थिक रूप से मदद पहुँचाने वाले कृत्य का आज विभत्स

लेकर लेन-देन का सौदा हो गया है और वर पक्ष के द्वारा मुंह मांगा कीमत नहीं देने पर लड़की को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है।

5. **मधु किश्वर (1993)** द्वारा लिखित "डॉउरी केल्कुलेशन्स" आलेख में कहना है कि उत्तरी भारत में लड़की शादी बिना दहेज का नहीं हो पाता है। वर पक्ष के द्वारा मांगे गये दहेज की पूर्ति नहीं करने पर शादी के बाद लड़की को तरह-तरह की यातनाएं दी जाती है। अब दहेज का विभत्स रूप सम्पूर्ण भारत में व्याप्त हो चुका है। दहेज के प्रकार मात्र अर्थ में नीहित नहीं रह गया है बल्कि वस्तुओं में भी नीहित हो गया है।

उपरोक्त अध्ययनों में दहेज से संबंधित तथ्यों का अवलोकन किया गया है किन्तु समाज पर दहेज का प्रभाव पर अभी तक कोई कारगर अध्ययन संपादित नहीं हो सका है। अतः यह शोध समाजिविज्ञानियों के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य :

दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का तथ्य परक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है :-

- इस अध्ययन के आधार पर दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का तथ्यपरक विश्लेषण किया गया है।
- वर्तमान अध्ययन के आधार पर दहेज प्रथा का प्रारम्भ एवं वर्तमान स्वरूप का विश्लेषण एवं समीक्षात्मक अन्वेषन किया गया है।

अध्ययन पद्धति :

यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक आलोचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्त्तमान अध्ययन दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव के विविध पक्षों के अन्वेषण से संबंधित है अतः यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वैतियक स्रोत पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत पत्र-पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों द्वारा लिया है।

समस्या का समाधान :

दहेज प्रथा बन्दा कैसे हो, इस प्रश्न का एक सीधा सा उत्तर है-कानून से। लेकिन हम देख चुके है कि कानून से कुछ नहीं हो सकता। कानून लागू करनेके लिए एक ईमानदार व्यवस्था की जरूरत है। इसके अतिरिक्त जबतक सशक्त गवाह और पैरवी करने वाले दूसरे लोग दिलचस्पी न लेंगे, पुलिस तथा अदालतें कुछ न कर सकेंगी। दहेज को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक चेतना आवश्यक है। कुछ गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जिस घर में बड़ी बारात आए या जो लोग बड़ी बारात ले जाएं उनके घर गांव का कोई निवासी बधाई देने नहीं जाता। दहेज के लोभी लड़के वालों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है।

भारतीय समाज में दहेज प्रथा का इतिहास

भारतीय समाज में दहेज प्रथा का इतिहास प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में कई प्रकार की प्रथाएं विद्यमान रही हैं, जिनमें से अधिकांश परंपराओं का सूत्रपात किसी अच्छे उद्देश्य से किया गया था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इन प्रथाओं की उपयोगिता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता रहा हैं। हैरानी की बात तो यह हैं कि जब इस प्रथा की शुरुआत की तब से लेकर अब तक इस प्रथा के स्वरूप में कई नकारात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इतिहास के पन्नों पर नजर डाले तो यह प्रमाणित होता हैं कि दहेज का जो रूप आज हम देखते हैं ऐसा पहले नहीं था। उत्तरवैदिक काल में प्रारंभ हुई यह परंपरा आज अपने घृणित रूप में हमारे सामने खड़ी हैं।

दहेज प्रथा के औचित्य और उद्देश्य में जो महत्व परिवर्तन हुए हैं, उन्हें निम्नलिखित कालांतरों के माध्यम से बेहतर समझा जाता हैं।

उत्तर वैदिक काल –

ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथा का कोई औचित्य या मान्यता नहीं थी। अथर्ववेद के अनुसार, उत्तरवैदिक काल में वहतु के रूप में इस प्रथा का चलन शुरू हुआ जिसका स्वरूप वर्तमान दहेज व्यवस्था से भिन्न था। जिसमें दुल्हन को सुरक्षा प्रदान करने और संपत्ति के हस्तांतरण के उद्देश्य से उपहारों का आदान-प्रदान शामिल था, लेकिन यह आधुनिक दहेज प्रथा से अलग थी। इस दौरान दहेज को 'स्त्रीधन' कहा जाता था, जो माता-पिता द्वारा अपनी बेटी को उसकी नई जीवन यात्रा के लिए दिया जाने वाला एक प्रकार का संरक्षण था। इसमें वस्त्र, आभूषण, आवश्यक वस्तुएं, भूमि या कभी-कभी गाय-बैल तक शामिल होते थे।

इस काल में युवती का पिता उसे पति के घर विदा करते समय कुछ तोहफे देता था, लेकिन दहेज नहीं मात्र उपहार माना जाता था।
यह पूर्व निश्चित नहीं होता था उस समय पिता को जो देना सही लगता था वह अपनी इच्छा से दे देता था जिसे वर पक्ष सहर्ष स्वीकार कर लेता था। इसमें न्यूनतम या अधिकतम जैसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी इस बात पर पति या ससुराल वालों का अधिकार नहीं था बल्कि यह उस संबंधित स्त्री के लिए उपहार होता था।
इस काल में लिखे गए धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भी दहेज से संबंधित कोई भी प्रसंग नहीं उल्लिखित किया गया है।

मध्य काल –

मध्य काल में इस बात को स्त्रीधन के नाम से पहचान मिलने लगी। इसका स्वरूप वहतु के ही समान था। पिता अपनी इच्छा और काबिलियत के अनुरूप धन या तोहफे देकर बेटी को विदा करता था इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि जो उपहार अपनी बेटी को दे रहा हैं वह किसी परेशानी में या फिर किसी बुरे समय में उसके और उसके ससुराल वालों के काम आयेगा। इस स्त्रीधन से ससुराल पक्ष का कोई संबंध नहीं होता था, लेकिन इसका स्वरूप पहले की अपेक्षा थोड़ा विस्तृत हो गया था।
अब विदाई के समय धन को भी महत्व दिया जाने लगा था। विशेषकर राजस्थान के उच्च और सम्पन्न राजपूतों ने इस प्रथा को अत्यधिक बढ़ा दिया। इसके पीछे उनका मंतव्य ज्यादा से ज्यादा धन व्यय कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना था। यही से इस प्रथा की शुरुआत हुई जिसमें स्त्रीधन शब्द पूरी तरह गौण हो गया और दहेज शब्द की उत्पत्ति हुई।

आधुनिक काल –

वर्तमान समय में दहेज व्यवस्था एक ऐसी प्रथा का रूप ग्रहण कर चुकी है, जिसके अंतर्गत युवती के माता पिता और परिवारवालों का सम्मान दहेज में दिए गए धन दौलत पर निर्भर करता हैं। वर पक्ष भी सरेआम आम अपने बेटे का सौदा करता हैं। प्राचीन परंपराओं के नाम पर युवती के परिवार वालों पर दबाव डाल उन्हें प्रताड़ित किया जाता हैं।

इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में के लिया हैं। सम्मान परिवार वालों को शायद दहेज देने या लेने में कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि उन्हें यह मात्र एक निवेश लगता हैं। उनका मानना हैं कि धन और उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह उनके मान सम्मान को बढ़ाने के साथ साथ बेटी को भेज खुशहाल जीवन देगा।

लेकिन निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी का विवाह करना बहुत भारी पड़ जाता हैं। वह जानते हैं कि अगर दहेज का प्रबंध नहीं किया गया तो व्याह के पश्चात् बेटी का ससुराल में जीना तक दूभर बन जाएगा।

दहेज प्रथा की समाप्त करने के लिए अब तक कितने ही नियमों और कानूनों की लागू किया गया हैं, जिसमें से कोई भी कारगर नहीं हैं 1961 में सबसे पहले दहेज निरोधक कानून अस्तित्व में लाया गया जिसके अनुसार दहेज लेना या देना दोनों ही गैर कानूनी घोषित किए गए लेख व्यावहारिक रूप से इसका कोई लाभ नहीं हैं। आज भी बिना किसी हिचक के वर पक्ष दहेज की मांग करता हैं और न मिलने पर नववधू की उनके कोप का शिकार होना पड़ता हैं।

1985 में दहेज नियमों को तैयार किया गया था। इन नियमों के अनुसार शादी के समय दिए गए उपहारों की एक सूची बनाकर रखा जाना चाहिए।

इस सूची में प्रत्येक उपहार उसका अनुमानित मूल्य जिसने भी यह उपहार दिया गया हैं उसका नाम और संबंधित व्यक्ति से उसके रिश्ते का एक संक्षिप्त विवरण मौजूद होना चाहिए।

नियम बना तो दिए जाते हैं लेकिन ऐसे नियमों को शायद ही कभी लागू किया जाता हैं।

1997 की एक रिपोर्ट में अनुमानित तौर पर यह कहा गया हैं कि प्रत्येक वर्ष 5000 महिलाएं दहेज हत्या का शिकार होती हैं। उन्हें जिंदा जला दिया जाता हैं जिन्हें दुल्हन की आहुति के नाम से जाना जाता हैं।

दहेज एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हैं जिसका परित्याग करना बेहद जरूरी हैं।

उल्लेखनीय हैं कि शिक्षित और सम्पन्न परिवार भी दहेज लेना अपनी परंपरा का एक हिस्सा मानता हैं तो ऐसे में अल्पशिक्षित या शिक्षित लोगों की बात करना बेमानी हैं युवा पीढ़ी जिसे समाज का भविष्य समझा जाता हैं उन्हें इस प्रथा की समाप्त करने के लिए आगे आना होगा। ताकि भविष्य में प्रत्येक स्त्री को सम्मान के साथ जीने का हक मिले और कोई भी वधू दहेज हत्या की शिकार न हो पाए।

दहेज प्रथा, मानवतावाद और उन्मूलन का सार

दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई हैं जिसका मानवतावाद और उन्मूलन से गहरा संबंध है। इसका सार यह हैं कि दहेज एक ऐसी प्रथा हैं जो महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं, उन्हें वस्तु मानती हैं और उनके साथ हिंसा और उत्पीड़न को बढ़ावा देती हैं। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए मानवतावाद दृष्टिकोण से हमें महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देने की आवश्यकता हैं। इसको जड़ से खत्म करने हेतू ठोस प्रयास करने चाहिए।

1. भेदभाव : दहेज प्रथा महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं। उन्हें बेटों से कमतर आंका जाता हैं और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अवसरों से वंचित किया जाता हैं।

2. हिंसा और उत्पीड़न : दहेज की मांग को लेकर महिलाओं के साथ घरेलू, हिंसा उत्पीड़न और यह तक कि हत्याएं भी की जाती हैं।

3. आर्थिक बोझ : दहेज प्रथा परिवारों पर एक बड़ा बोझ डालती हैं, खासकर गरीब परिवारों पर, जो अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेने को मजबूर करती हैं।

4. सामाजिक बुराई : दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई हैं जो समाज को खोखला करती हैं और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती हैं।

मानवतावाद और दहेज प्रथा का उन्मूलन

1. समानता : मानवतावाद का अर्थ हैं सभी मनुष्यों के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करना। दहेज प्रथा इस सिध्दांत के खिलाफ हैं और इसे समाप्त करने के लिए हमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार और सम्मान देने की आवश्यकता हैं।

2. शिक्षा : शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। शिक्षा के माध्यम से, महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जान सकती हैं और दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं।

3. जागरूकता : समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना आवश्यक हैं। लोगों को यह समझना होगा कि दहेज एक सामाजिक बुराई हैं और इसे समाप्त करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

4. कानून : दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए, सरकार को सख्त कानून बनाने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता हैं।

5. सामाजिक परिवर्तन : दहेज प्रथा केजी समाप्त करने के लिए सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता हैं। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और महिलाओं को सम्मान देना सीखना होगा।
   दहेज प्रथा का उन्मूलन एक जटिल प्रक्रिया हैं लेकिन यह संभव हैं यदि हम सभी मिलकर प्रयास करे तो हम इस सामाजिक बुराई को समाप्त कर सकते हैं और एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान मिले।

6. दहेज की प्रकृति : दहेज की प्रकृति के संबंध में, सैद्धांतिक अध्ययन सक्रिय रूप से किए गए हैं।
   बेकर 1985 के अनुसार, दहेज को अक्सर विवाह बाजार को साफ करने की कीमत माना जाता हैं। महिलाओं की वेतनभोगी कार्य में भागीदारी से दहेज प्रथा में कमी आ सकती हैं।
   यह एक अनुभवजन्य प्रश्न हैं कि दुल्हन के वेतनभोगी कार्य में भाग लेने से उसके दहेज की राशि कम हो जाती हैं क्योंकि यह कई भ्रामक कारकों से प्रभावित हो सकता हैं जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण से पता चलता हैं कामकाजी दुल्हनों को ज्यादा दहेज नहीं देना पड़ सकता।

क्योंकि वे पितृसत्तात्मक समाज में दूल्हे के परिवार में आर्थिक रूप से योगदान दे सकती हैं हालांकि दक्षिण एशियाई संदर्भ में घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अक्सर कलंकित मन जाता हैं और इसलिए उन्हें विवाह बाजार में निम्न गुणवत्ता वाला माना जा सकता हैं। माता पिता स्वेच्छा से दहेज दे सकते हैं।

मार्किनो 2029ए,
जून और अक्टूबर 2013 के बीच औसतन USS1=PKR 102.84 हैं सभी मान 2013 PKR में दर्शाए गए हैं।
दहेज महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की कमी भरपाई कर सकता हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में संशोधन किया गया और हिंदू महिलाओं को कानूनी तौर पर अपने भाईयों के समान उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया गया हैं। यह परिवर्तन पूरे भारत में लागू किया गया हैं, जिनमें 1976 में केरल, 1986 में आंध्रा प्रदेश, 1989 में तमिलनाडु, 1994 में महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं।

नीतिगत निहितार्थ

जब दहेज जैसी प्रथा कानूनी प्रतिबंध के बावजूद समाज में व्यापक रूप से व्याप्त हैं तो यह जांचना जरूरी हैं कि लोग इस प्रथा को क्यों जारी रखते हैं जब महिलाओं के संपत्ति के अधिकार और वेतनभोगी काम के अवसर नहीं होते तो दहेज महिलाओं के लिए उपलब्ध एकमात्र संपत्ति और वैवाहिक घर में उनकी सुरक्षात्मक स्रोत हैं।

1. कानूनी ढांचा : दहेज निषेध अधिनियम, 1961 जैसे कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

2. जागरूकता अभियान : दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि लोग इस प्रथा के हानिकारक प्रभावों को समझ सकें।

3. शिक्षा : लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें और दहेज की प्रथा पर निर्भर न रहें।

4. आर्थिक सशक्तिकरण : महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

5. सामाजिक परिवर्तन : सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को बदलने की आवश्यकता है, ताकि दहेज को एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाए और इसे स्वीकार न किया जाए।

6. सामुदायिक भागीदारी : सामाजिक परिवर्तन के लिए, समुदाय को भी सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए।

दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए, सरकार, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

दहेज देने या लेने के लिए दंड.--5 [(1)] यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, दहेज देगा या लेगा या देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो वह 6 [ऐसी अवधि के कारावास से, जो 7 [पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से, जो पंद्रह हजार रुपए से कम नहीं होगा या ...]

निष्कर्ष

दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए स्वयं युवकों को आगे आना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे अपने माता-पिता तथा अन्य संबंधियों को स्पष्ट शब्दों में कह दें शादी होगी तो बिना दहेज की होगी। इन युवकों को चाहिए कि वे उस संबंधी का डटकर विरोध करें जो नवविवाहिता को शारीरिक या मानसिक कष्ट देते हैं। इस घृणित रोग से समाज रोम-रोम पीड़ित है। सरकार को चाहिए वे समाचार पत्रों, दूरदर्शन, नुक्कड़ नाटकों तथा साहित्य के माध्यम से यह संदेश जन-जन तक पहुंचाए कि दहेज लेना एवं देना पाप है। दहेज लोभियों का पता लगने पर उन्हें दण्डित किया जाएगा तथा सजा दी जाएगी। दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार द्वारा बनाई गई कमजोर नीतियों के कारण बनाए गए कानून कारागार सिद्ध नहीं हुए है। इस कुरीति को मिटाने के लिए युवा वर्ग को जागृत होना होगा। बुराई के विरोध में खड़े होना होगा। दहेज देने तथा लेने वालों का बहिष्कार करना होगा। तभी इस कुरीति को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।

संदर्भ

1. बेकर गैरी एस .1985. परिवार पर एक ग्रन्थ। कैंब्रिज, एमए:हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

2. मकिनो, मोमो ।2019a. “विवाह,दहेज और ग्रामीण पंजाब, पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति।” जर्नल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स32(3):769 -97।

3. 2019b.“महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों के कानूनी संरक्षण के अभाव में दहेज।” घरेलू अर्थशास्त्र की समीक्षा17(1):287- 321

4. 2021.“पाकिस्तान में महिला श्रम बल भागीदारी और दहेज।” जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट 33(3):569-93

5. Moneycontrol.com".8 मार्च 2007 से मूल 11 जनवरी 2012 को पुरालेखित.

6. ए बी रानी जेठमलानी और पी.के. डी (1995).कलियुग में दहेज मृत्यु और न्याय तक पहुंच :सशक्तिकरण, कानून और दहेज मृत्यु पृ.36,38

7. ए बी पारस दीवान और पीयूसी दीवान (1997)। दहेज से संबंधित कानून, दहे ज मृत्यु, दुल्हन को जलाना, बलात्कार और संबंधित अपराध। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ पब्लिकेशन कंपनी, पृष्ठ10

8. ए बी वहीद, अब्दुल (फरवरी2009)। “भारतीय मुसलमानों में दहेज:आदर्श और व्यवहार”
इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्ट्डीज। (1):47-75.doi:10.1177/097152150801600103 S2CID 142943653

9. कदम, तजरी (1जनवरी 2015) “ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्वायत्तता पर व्यवस्थित वैवाहिक रीति रिवाजों का प्रभाव” ऑनर स्कॉलर थीसिस।

10. मिलर, लिंडी (1जनवरी 2023). “दहेज :दहेज और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव”
बीवाईयू एशियन स्ट्डीज जर्नल .8(1)

11. अनीता राव और स्वेतलाना सैंड्रा कोरैया (2011) दहेज पर प्रमुख मामले। नई दिल्ली: ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क।

12. विटलेज, माइकल “थोड़ा दहेज, सती प्रथा नहीं: वैदिक काल में महिलाओं का भाग्य” जर्नल ऑफ साउथ एशिया विमेन स्ट्डीज 2,अंक 4(1996)

13. ए बी सी डी ई फ़ जी डालमिया, सोनिया; परीना जी.लॉरेंस (2025). “भारत में दहेज प्रथा :यह क्यों जारी हैं?” जर्नल ऑफ डेवलपिंग एरियाज.38(2):71-93.doi:10.1353/jda.2005.0018.S2CID 154992591

14. बॉम्बे: कैथरीन ब्रेगेंजा का राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज।
3 अगस्त2022.18 जुलाई 2024 को पुनः प्राप्त।

15. मजूमदार, माया (2025).महिला सशक्तिकरण के माध्यम से लैंगिक समानता का विश्वकोश. सरुप एंड संस.पृष्ठ74.

16. रविकांत नम्रता एस (2000).“दहेज मृत्यु:मानवाधिकारों दायित्वों के अनुरूप घरेलू कानून के कार्यान्वयन हेतु एक मानक का प्रस्ताव।”
मिच.जे.जेंडर एंड एल.6 :449,454

17. एस कृष्णमूर्ति (1981).दहेज समस्या :एक कानूनी और सामाजिक परिप्रेक्ष्य, अध्याय 1.दहेज की जड़े .बैंगलोर:आईबीएच प्रकाशन .पृष्ठ22

18. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडीफ़). india code.nic.in.13 सितंबर 2005.8 जुलाई 2025 को लिया गया.

19. मेघना शाह, “अधिकारों पर संकट:भारत में दहेज हत्या से निपटने में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों उपकरणों की अपर्याप्तता।” कनेक्टिकट जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ19(2003):209+।

20. ए बी महिलाएं भारत के दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है "3जुलाई 2014 मूल से 9 जनवरी 2015 को पुरालेखित

21. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 "मूल से 15 मई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 मई 2015.

22. दहेज कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें संशोधन करे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा।
टाइम्स ऑफ इंडिया।17 अगस्त 2010 ।मूल से 7 जुलाई 2012 को संग्रहित। 6 जून 2011 को लिया गया।

23. संसदीय समिति ने दहेज अधिनियम की समीक्षा की सिफारिश की।
मूल से 18 मई 2015 को संग्रहित।

24. दहेज विरोधी कानून में जल्द संशोधन होने की संभावना हैं।
19 अप्रैल 2015 .मूल से 30 अप्रैल 2015 को पुरालेखित .अभिगमन तिथि 19 अप्रैल 2015.

25. दहेज उत्पीड़न विरोधी कानून के दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्र तैयार।
12 मार्च 2015 .मूल से 18 मई की पुरालेखित .अभिगमन तिथि 12 मार्च.

26. घोषाल अनिरुद्ध (1 मार्च2012)। “बागी दुल्हन का दहेज का आरोप खारिज।” टाइम्स ऑफ इंडिया।
14 अगस्त 2020 को लिया गया।

27. M.N. Srinivas (1988) in his book "Some Reflection Dowry The India Economic and Social History Riview, Oxford University Press, New Delhi.

28. Madhu Kishwar (1993) in his article "Dowry Caleculations" in "Manushi No. 73, New Delhi

29. M. C. Paul (1993) in his work Dowry as a Symbol of Women's Subordination in India".

30. Madhu Kishwar and Ruth Vinita (1984) have studied the role of women's organisation and movement against dowry. In their article "In search of Answers

31. KS. Shenbhagam (1992) has studied the laws related to dowry and the dowry death in the work "Laws of Women's Rights", xiv Roksana Badruddoja California State University.

दहेज कुप्रथा उन्मूलन और मानवता

शोध प्रबंध

शोधार्थी — Researcher

स्नेहा सिंह — Sneha Singh

शोध पर्यवेक्षक — Supervisor

सुशील कुमार सिंह — Sushil Kumar Singh

पुस्तक डिजाइनर — Book Designer

सुमन मीना (अदिति) — Suman Meena

अनुसंधान केंद्र — Research Center

दिव्य प्रेरक कहानियाँ — Divya Prerak Kahaniyan

अनुसंधान केंद्र — Humanity Research Center

दिव्य प्रेरक कहानियाँ
मानवता अनुसंधान केंद्र

ठेकमा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश (भारत)

Website: www.dpkavishek.in | Email: dpkhrc@gmail.com